



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 724]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2011/वैशाख 7, 1933

No. 724]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2011/VAISAKHA 7, 1933

सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2011

का.आ. 843(अ).—केन्द्रीय सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी भारत सरकार के सङ्केत परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1192 (अ), तारीख 3 दिसम्बर 2001 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल 2002, द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 7 के क्रमशः 36.600 कि.मी. से 64.000 कि.मी. (नागपुर से अदिलाबाद सेक्षन) और 64.000 कि.मी. से 175.640 कि.मी. (नागपुर से हैदराबाद सेक्षन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा था।

Will

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 के बोरखेडी - वादनेर सेक्षन 36.600 कि.मी. से 94.000 तक के चार लेन वाले सेक्षन के उपयोग के लिए नीचे की सारणी के स्तरम् (2) में विनिर्दिष्ट यांत्रिक यानों के प्रकार पर उसके स्तरम् (3) में विनिर्दिष्ट आधार दरों पर फीस उद्गृहीत और संग्रहीत होगी और प्राधिकरण वो अपने पदधारियों या ठेकेदार के माध्यम से, उक्त फीस का संग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम संख्या	यान का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपये में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान, हल्के माल वाहक यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
4.	तीन धुरी वाले वाणिज्यिक यान	2.40
5.	भारी संनिर्माण मशीनरी (भ.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय यान (ब.धु.य.) (चार से छह धुरी)	3.45
6.	अधिक बड़े आकार वाले यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पणी:-

- बोरखेडी - यादनेर सेवक्षन, 56.25 कि.मी लम्बाई के लिए फीस उद्घर्हीत और संग्रहीत की जाएगी (हिंगंघाट रेल ओवर ब्रिज, लम्बाई 1.15 कि.मी, 75.950 कि.मी से 77.100 कि.मी को छोड़कर) और उक्त सेवक्षन के पूरा होने पर, उक्त सेवक्षन की संपूर्ण लम्बाई जो की 57.40 कि.मी है को लिए फीस उद्घर्हीत और संग्रहीत की जाएगी (अर्थात् हिंगंघाट रेल ओवर ब्रिज को सम्मिलित करने पर)।
- आधार वर्ष 2007-08 के लिए स्थानीय गैर वाणिज्यिक वाहनों के लिए मासिक पास की दर 150 रुपये (एक सौ पचास रुपये) होगी।
- फीस का संग्रहण पथकर प्लाजा 92.500 कि.मी, दारोदा, गांव, जिला वर्धा, महाराष्ट्र राज्य पर किया जायेगा।

[फा. सं. भारतप्रा/13013/591/10-11/सी.ओ./जी.सी. नागपुर (36-94)]

बी. बी. मोहापात्रा, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2011

S.O. 843(E).—Whereas, vide notifications of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1192 (E), dated the 3rd December, 2001 and number S.O. 465 (E), dated the 26th April, 2002, issued under section 11 of the National Highways Authority of

India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government entrusted the stretches from Km 36.600 – Km 64.000 (Nagpur to Adilabad Section) and Km 64.000 to Km 175.640, (Nagpur to Hyderabad Section) respectively of National Highway No. 7 in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, the Central Government, hereby notifies that there shall be levied and collected fee at the base rate specified in column (3) of the following Table, on the type of mechanical vehicles specified in column (2) of the said Table, for the use of the four lane Borkhedi – Wadner section from Km 36.600 – Km 94.000 of National Highway No.7 in the State of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table

Sl. No.	Type of Vehicle.	Base rate of fee per vehicle per km per one-way trip for base year 2007-08 (in rupees).
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle.	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus.	1.05
3.	Bus or Truck. (Two Axles).	2.20
4.	Three – axle commercial vehicles.	2.40
5.	Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle. (MAV) (four to six axles)	3.45
6.	Oversized Vehicles (seven or more axles).	4.20

Notes :-

- Fee shall be levied and collected for 56.25 km length of the Borkhedi – Wadner section (except Hinganghat Rail Over Bridge of 1.15 km length from km 75.950 - km 77.100) and on completion

of the said section, the fee shall be levied and collected for whole length of 57.40 km of the said section (i.e. including the Hinganghat Rail Over Bridge).

2. The monthly pass for local non-commercial vehicles shall be issued at the base rate for the year 2007-2008 of rupees one hundred and fifty.
3. The fee shall be collected at the fee plaza situated at km 92.500 in Daroda village in Wardha District in the State of Maharashtra.

[F. No. NHAI/13013/591/10-11/CO/GC Nagpur (26.93)]

B. B. MOHAPATRA, Director